

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
मानचित्र सेल (टी.जी.),
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन विपिनखण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:-

प्लॉट नं०-टीसीजी-1/1 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर जिला-लखनऊ में मेसर्स एस.ए.एस. होटल्स एण्ड प्रापर्टीज प्रा०लि० द्वारा प्रस्तावित होटल/व्यवसायिक ब्लॉक-ए1 भवन का संशोधित प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

पत्र संख्या-एफएस/2017/27592/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2295/जेडी दिनांक:-17.03.17 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत।

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने संशोधित पत्र संख्या-एन.आर.-28/एए/मान.से. दिनांक-30.01.18 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

प्रश्नगत भवन का मानचित्र पूर्व में ब्लॉक-ए.बी व सी के रूप में स्वीकृत हो चुका है। जिसपर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ब्लॉक-ए से सटाकर ब्लॉक-ए-1 का निर्माण के लिए सन्दर्भित पत्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किया गया था आवेदक द्वारा पुनः संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका अग्निशमन अधिकारी गोमतीनगर द्वारा एनबीसी-2005 एवं भवन निर्माण विकास उप विधि-2004 तथा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सापेक्ष भवन के प्रस्तुत शमन मानचित्र का परीक्षण किया गया, जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया-

20288.67 वर्गमीटर।

• भूतल का कवर्ड एरिया-

1732.58 वर्गमीटर।

• प्रथम तल का कवर्ड एरिया-

1522.78 वर्गमीटर।

• द्वितीय तल का कवर्ड एरिया-

1356.76 वर्गमीटर।

• तृतीय तल से छठवे तल का टिपिकल कवर्ड एरिया-

1421.72 वर्गमीटर।

• सातवे तल का कवर्ड एरिया-

1290.50 वर्गमीटर।

• आठवे तल का कवर्ड एरिया-

1290.50 वर्गमीटर।

• नवे तल का कवर्ड एरिया-

1294.82 वर्गमीटर।

• अपर बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-

3143.60 वर्गमीटर।

• लोवर बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-

3136.68 वर्गमीटर।

2-भवन की ऊँचाई-40.00 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की विजनेस श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था -

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र में 30.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई-06.00 मीटर है, जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक-भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत हैं-

• अग्रभाग- 14.46 मीटर।

• पृष्ठभाग- 12.00 मीटर।

• पार्श्व भाग प्रथम- 19.45 मीटर।

• पार्श्व भाग द्वितीय- 12.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं है। बेसमेन्ट का कुछ भाग

बिल्डिंग एनवलप से बाहर है इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत की भार वहन क्षमता 45 टन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

4-निकास मार्ग-भवन में 02 स्टेयर केस-01.50 मीटर चौड़ी प्रस्तावित हैं। इससे सटाकर एक ब्लाक-ए पूरा से निर्मित है जिसमें 03 स्टेयर केस का निर्माण किया गया है। जिसे प्रस्तावित ब्लाक-ए1 से कारिडोर द्वारा जोड़ा जाना मानचित्र में प्रदर्शित है। जिनकी पलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्या सीमा के अन्तर्गत है।

5-लिफ्टयूज एरिया का विवरण-प्रत्येक तल पर बालकानी प्रस्तावित है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1-भूमिगत टैंक-भवन में 200000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

2-पम्प-भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प-2850 एलपीएम क्षमता का 02 विद्युत चालित पम्प एक डीजल चालित पम्प 2850 एलपीएम क्षमता एक जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का मानचित्र में प्रस्तावित है।

3-होजरील-भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

4-वेटराइजर-प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

5-यार्ड हाइड्रेंट-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेंटस होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाइप तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 के अनुसार प्रस्तावित है। 6-हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम-भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम-भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-सम्पूर्ण भवन सहित बेसमेंट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

9-टैरिस टैंक-भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक-20000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)-भवन के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्रस्तावित है। जो मानको के अनुरूप है।

11-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम-भवन के बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवन में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुरूप स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।


12-प्रेसराइजेशन प्रणाली-लिफ्ट लॉबी, स्टेयर केस व कोरिडोर में प्रेशराइजेशन एनबीसी मानक के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

13-एग्जिट साइनेज-भवन का निर्माण हो जाने के उपरान्त प्रवेश व निकास द्वारों पर एग्जिट साइनेज किया जाना आवश्यक होगा।

14-पी0ए0सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

15-प्रशिक्षित स्टाफ-भवन का निर्माण हो जाने के उपरान्त उसमें अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा उपकरणों के कुशल संचालन हेतु नियमित शिफ्टवार प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार प्लॉट नं0-टीसीजी-1/1 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर जिला-लखनऊ में मेसर्स एस0ए0एस0 होटल्स एण्ड प्रापर्टीज प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित होटल/व्यवसायिक ब्लाक-ए-1 भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया-2016 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


15/02/2018
(ए0बी0पाण्डेय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपि-अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।